

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 719

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पंजाब में आयुष प्रणाली

719. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पंजाब में जनता में आयुष प्रणाली के प्रति अधिक जागरूकता के बावजूद वहां आयुष प्रणाली के प्रति निम्न वरीयता की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या आयुष पद्धतियों को स्वास्थ्य देख-रेख की मुख्य धारा में एकीकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कार्यनितियों को कार्यान्वित किया जा रहा है;
- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार की पंजाब में आयुष सेवाओं के कम उपयोग के कारणों को समझने के लिए आगे अनुसंधान अथवा सर्वेक्षण कराने की योजना है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (5) इस मामले में चिन्हित की गई बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन-सी विशिष्ट कार्रवाइयां की जाने की संभावना है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जुलाई (एमओएसपीआई), 2022 से जून, 2023 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 79वें दौर के भाग के रूप में आयुष पर पहला विशेष अखिल भारतीय सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण के तथ्यपत्र के अनुसार, आयुष पद्धति के लिए जनसामान्य के मध्य वरीयता और जागरूकता के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं-, जिनमें पंजाब भी सम्मिलित है। हालांकि, यह पाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 365 दिनों के दौरान 94.8 प्रतिशत लोग आयुष के बारे में जानते हैं और 46.3 प्रतिशत लोगों ने आयुष का उपयोग किया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पिछले 365 दिनों के दौरान 96 प्रतिशत लोग आयुष के बारे में जानते हैं और 52.9 प्रतिशत लोगों ने आयुष का उपयोग किया है।

(ख) से (ड) आयुष मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जो आयुष पद्धतियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सम्मिलित करने के उनके प्रयासों को सहयोग प्रदान करता है। भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की कार्यनीति अपनाई है, जिससे रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लिए विकल्प चुनने में मदद मिलती है। आयुष चिकित्सकों/पराचिकित्सकों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा साझा उत्तरदायित्व के रूप में आयुष बुनियादी ढांचे, उपकरण/फर्नीचर और औषधियों के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में, आयुष के कम उपयोग के पीछे के कारणों को समझने के लिए अनुसंधान या सर्वेक्षण करने की कोई योजना नहीं है।
